



दिनांक 01.02.2026

प्रेस विज्ञप्ति 01 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 द्वारा माघ मेला प्रयागराज का व्यापक भ्रमण/निरीक्षण

श्री अमिताभ यश, अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 द्वारा माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर दिनांक 31/01.02.2026 को प्रयागराज में कैम्प करते हुए माघ मेला प्रयागराज का व्यापक भ्रमण/निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 द्वारा पान्टून पुल संख्या-01 से संगम नोज तक पैदल भ्रमण कर श्रद्धालुओं की आवाजाही, भीड़ प्रबंधन तथा यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया। तत्पश्चात संगम नोज से बोट के माध्यम से जलमार्ग से त्रिवेणी संगम घाट, अरैल घाट, झूसी घाट, किला घाट सहित विभिन्न प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त आईसीसीसी (इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) का भी अवलोकन कर तकनीकी निगरानी एवं समन्वय प्रणाली की समीक्षा की गई।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 द्वारा निर्देशित किया गया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं सुचारु आवागमन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मेला क्षेत्र से श्रद्धालुओं के निकासी मार्गों को निर्बाध बनाए रखा जाए ताकि कहीं भी किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो। साथ ही किसी भी आकस्मिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों के मध्य बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

साथ ही महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा, साइबर जागरूकता, खोया-पाया केंद्रों तथा सूचना तंत्र को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें कर्तव्यनिष्ठा, शालीन व्यवहार एवं पूर्ण सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने हेतु प्रेरित किया गया।





दिनांक 01.02.2026

प्रेस विज्ञप्ति 02 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टीएफ0—गैगेस्टर एक्ट में जनपद गोण्डा से रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आकाश यादव गिरफ्तार।

दिनांक: 01-02-2026 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को थाना धानेपुर, जनपद—गोण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 22/2025 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त आकाश यादव को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

आकाश यादव पुत्र इन्दल यादव निवासी डेबरीकला, थाना धानेपुर, जनपद—गोण्डा।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय-

कटरा रेलवे स्टेशन के सामने, थाना क्षेत्र नवाबगंज, जनपद—गोण्डा दिनांक 01-02-2026 समय 13.10 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को वांछित एवं पुरस्कार घोषित सक्रिय अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाए प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री विषाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में सूचना संकलन की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक श्री विनय सिंह, उ0नि0 मनोज सिंह, मु0आ0 रमेश चन्द्र उपाध्याय, मु0आ0 सुधीर सिंह, मु0आ0 अमित कुमार कमा0 रामबली गिरि, चालक सुभाष की टीम जनपद—गोण्डा में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना मिली कि थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 22/2025 में वांछित रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अभियुक्त कटरा रेलवे स्टेशन के सामने, थाना क्षेत्र नवाबगंज, जनपद—गोण्डा के पास मौजूद है, जो कही जाने की फिराक में है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि इसका एक सक्रिय गिरोह है, जो लूट आदि की घटनाएं करता है। इसके गिरोह में सुमित तिवारी, संदीप मौर्या, आदित्य कष्यप, हरतू कष्यप आदि मुख्य रूप से सक्रिय हैं। यह अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर दिनांक 23-04-24 को रात्रि 09.30 बजे थाना कोतवाली देहात अंतर्गत आंख में मिर्ची पाउडर डाल कर एक बाइक सवार से लूट की घटना किया था। दिनांक 29-04-24 को रात्रि 07.30 बजे थाना नवाबगंज, गोण्डा अंतर्गत एक बाइक सवार 02 व्यक्तियों की आंख में मिर्ची पाउडर डाल कर 40,000/- रुपये की लूट किया था। दिनांक 21.05.24 को रात्रि 23.30 बजे थाना खरगूपुर, गोण्डा अंतर्गत एक बाइक सवार 02 व्यक्तियों को रोक कर 9000/- रुपये और मोबाइल फोन की लूट की घटना को अंजाम दिया था। दिनांक- 02.06.24 को रात्रि 23.00 बजे थाना मोतीगंज, गोण्डा अंतर्गत बैटरी रिक्शा चालक को चाकू मार कर लूट किया था। दिनांक- 02.06.24 को रात्रि 08.30 बजे थाना धानेपुर, गोण्डा अंतर्गत एक बाइक सवार 02 व्यक्तियों से लूट किया था। वर्ष-2025 में इसके विरुद्ध थाना धानेपुर, गोण्डा में गैगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था तब से यह फरार चल रहा था, जिसके गिरफ्तारी हेतु रु0 50 हजार का पुरस्कार घोषित था।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आकाश यादव-

- 1- मु0अ0सं0 165/2024 धारा 392/411/413/120 बी भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
- 2- मु0अ0सं0 167/2024 धारा 394/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।
- 3- मु0अ0सं0 135/2024 धारा 120 बी/341/394/411/504/506 भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
- 4- मु0अ0सं0 22/2025 धारा 3(1) यू0पी गैगेस्टर एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
- 5- मु0अ0सं0 153/2024 धारा- 379 भादवि थाना- खरगुपुर, जनपद गोण्डा
- 6- मु0अ0सं0 142/2024 धारा- 394 भादवि थाना- नवाबगंज जनपद गोण्डा

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना धानेपुर, जनपद-गोण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 22/2025 धारा 3(1) यू0पी गैगेस्टर एक्ट में दाखिल किया गया अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

~3~
जनपद कानपुर देहात/थाना भोगनीपुर

- 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 31.01.2026 को थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देवीपुर चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त गौरव कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं जिसके विरुद्ध जनपद औरैया, कानपुर देहात के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गौरव कुमार निवासी ग्राम लवरसी कछगांव थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना बण्डा

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- 345 ग्राम अवैध अफीम
- नगद रुपये
- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 31.01.2026 को थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चित्तपुर नवदिया तिराहे के पास से अभियुक्त एहतेशाम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 345 ग्राम अवैध अफीम, नगद रुपये, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बण्डा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—एहतेशाम निवासी वर्कजई अव्वास नगर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

- 1-345 ग्राम अवैध अफीम।
- 2-नगद रूपये।
- 3-01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सिकन्दरा

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- 02 लाख 16 हजार रूपये नगद
- 14 मोबाइल फोन, 02 लैपटॉप, 18 सिमकार्ड, 72 एटीएम कार्ड, 29 चेकबुक, 37 पासबुक आदि बरामद

दिनांक 31.01.2026 को थाना सिकन्दरा, थाना साइबर क्राइम व सर्विलान्स सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अशोक वेन्यू से 04 अभियुक्तों 1-हिमांशु 2-आशीष 3-सूरज 4-रामू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 लाख 16 हजार रूपये नगद, 14 मोबाइल फोन, 02 लैपटॉप, 18 सिमकार्ड, 72 एटीएम कार्ड, 29 चेकबुक, 37 पासबुक आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो लोगो को बहला फुसलाकर उनके दस्तावेजों से उनके नाम पर खातों को खुलवाकर, उनके एटीएम व पासबुक लेकर, उससे धोखाधड़ी की घटना कारित की जाती है।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-हिमांशु निवासी ग्राम जमालपुर थाना मठसेना जनपद फिरोजाबाद।
- 2-आशीष निवासी एलान नगर थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
- 3-सूरज निवासी ग्राम हमीरपुरा थाना मठसेना जनपद फिरोजाबाद।
- 4-रामू निवासी ग्राम श्यामू थाना एकता कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

- 1-02 लाख 16 हजार रूपये नगद।
- 2-14 मोबाइल फोन, 02 लैपटॉप, 18 सिमकार्ड, 72 एटीएम कार्ड, 29 चेकबुक, 37 पासबुक आदि।
